न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 25/2023

स्टेट जरिये श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनाम:—

भारत भूषण स्वामी पुत्र रामचन्द्र (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः—भारत एजेन्सी, नजदीक भगतसिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन,
जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—दुर्गा कॉलोनी, वार्ड नं. 18, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़।

जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांक :—19.11.2024

प्रार्थी श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव दिनांक 10.10.2022 को समय प्रातः 12.15 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—भारत एजेन्सी, नजदीक भगतसिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर भारत भूषण स्वामी पुत्र रामचन्द्र (मालिक एवं विक्रेता) निवासी—दुर्गा कॉलोनी, वार्ड नं. 18, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते दो कार्टून में 20 नग 500 एम.एल. वजनी Ghee (Saras) रखे हुये थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 गता पैकेट 500 एम.एल. वजनी Ghee (Saras) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Ghee (Saras) के खरीद मूल का 1000/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Ghee (Saras) 500 एम.एल. वजनी चार मूल सील्ड प्लास्टिक बोतल पर चार लेबल तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर कर चिपकाया। ऊपर से प्रत्येक सील्ड बोतल को मोटे खाकी कागज से लपेटकर किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके—2212 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2212 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवा[illegible] कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ [illegible] ह[illegible]द्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना स[illegible] के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्ले[illegible] जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरे[illegible] प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (अ[illegible]क) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 951 दिनांक 20.10.2022 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/15333—34 दिनांक 07.11.2022 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके [illegible]वेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.28 18:13:04 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Misbranded खाद्य पदार्थ Ghee (Saras) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Ghee (Saras) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 (1) की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित कथन किया कि दिनांक 10.10.2022 को अप्रार्थी की दुकान से खाद्य नमूना घी (सरस) नमूना कोड एके–2212 से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संग्रहित कर लिया था। मौके पर अप्रार्थी को फॉर्म 5 ए भरकर दिया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्रांक 15333–34 दिनांक 07.11.2022 द्वारा उक्त नमूने की जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को प्राप्त हुई जिसके मुताबिक उक्त नमूना मानक स्तर का पाया गया लेकिन साथ ही लैबलिंग संबंधी कमी के कारण मिसब्राण्डेड पाया गया। उक्त रिपोर्ट के संबंध में अप्रार्थी का निवेदन है कि उक्त नमूना पैकेट पर कंपनी की ओर से Best Before 06 month from Packing एवं Date of Mfg/Pkg 28-08-2022 अंकित थी जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को मौके पर दिये गये फॉर्म नं. 05 ए से स्पष्ट है। तत्पश्चात लैब रिपोर्ट में उक्त पदार्थ पर डेट ऑफ एक्सपायरी एवं उपभोग तिथि अंकित न होने के कारण इसको मिसब्राण्डेड माना गया जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार इस पर उपभोग तिथि अंकित थी। उक्त नमूने पर पैंकेजिंग तिथि 28.08.2022 प्रिंट थी एवं यह नमूना उक्त दिनांक से 06 माह तक उपभोग करने लायक था जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि नमूना संग्रहण की दिनांक तक यह घी एक्पायर नहीं था। अतः लैब रिपोर्ट एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर दी गई फर्द रिपोर्ट में विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को खारिज कर अप्रार्थी को राहत प्रदान करे।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न फॉर्म 05 ए में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूने पर Best Before 06 month from Packing एवं Date of Mfg/Pkg 29-08-2022 अंकित थी जबकि लैब रिपोर्ट में उपभोग तिथि का अंकन न होने के कारण उक्त नमूना मिसब्राण्डेड माना गया। अतः स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास है। अतः उक्त प्रकरण को खारिज कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में नमूना संग्रहण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों एवं विर्निदिष्ट प्रक्रिया अनुसार सावधानीपूर्वक नमूना संग्रहण की कार्यवाही की जाये। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.28 18:13:04 IST
Reason: SelfAttested